Supplement—II Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 35-2017] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 29, 2017 (BHADRA 6, 1939 SAKA)

General Review

प्रशासकीय सुधार विभाग की वर्ष 2009–2010 की वार्षिक प्रशासकीय रिपोर्ट की समीक्षा

दिनांक 8 अगस्त, 2017

No. 4/23/2016-RU.—

हरियाणा राज्य में प्रशासकीय सुधार लाने के लिए प्रशासकीय सुधार विभाग, प्रशासन सरकार की एक नोडल एजेंसी है। प्रदेश के लोगो की आकांक्षाओं और जरूरतों के अनुसार प्रशासन को और अधिक सचेत करने के अतिरिक्त उच्च प्राथमिकता के आधार पर उनकी शिकायतों के समाधान करने के लिए एक तंत्र विकसित करके यह विभाग प्रणालीगत परिवर्तन, संगठन और पद्धतियों के माध्यम से सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार लाने, विलम्ब रोकने तथा नियमितता बनाये रखने के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। सुधारत्मक कार्यों के अतिरिक्त यह विभाग सरकारी कार्यालयों के अमले की आवश्यकता के लिए जहां अतिरिक्त पदों की मांग की गई है। उनके कार्य का अध्ययन तथा जांच करता है। सरकार में सभी स्तरों पर कारगर कार्यवाही उत्तरदायित्व, स्थायी और कुशल प्रशासन को प्रोत्साहित करने के लिए इस विभाग द्वारा निम्न बहुआयामी नीतियां अपनाई जाती हैः–

(1) नागरिक अधिकार पत्रों को बनवाना व लागू करना।

(2) प्रबन्धन अध्ययन।

(3) शिकायती क्षेत्रों की पहचान तथा उचित कार्यवाही हेतु अध्ययन।

(4) प्रबन्धन सेवाएं।

(5) प्रशासकीय सुधारों के सामान्य मुद्दों पर अनुसंधान आदि।

(6) सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार, देरी तथा कार्य के प्रति उदासीनता को कम करना।

(7) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू करना।

(8) हरियाणा राज्य सूचना आयोग से सम्बन्धित सभी मामले।

2. राज्य में सुशासन पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रशासकीय सुधार विभाग सरकार के विभिन्न विभागों तथा ओ० एण्ड एम० गतिविधियों के लिए सहायता तथा मन्त्रणा प्रदान करता है, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैः–

(1) कार्यालयों में कार्य निपटान स्तर कम करने हेतु इकहरी मिसल प्रणाली को अपनाया जाना।

(2) जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु आकस्मिक निरीक्षण पूर्ण निरीक्षण की समीक्षा करना।

(3) कार्यालय तथा कार्य प्रणाली के सरलीकरण हेतु कागजी कार्यवाही को कम करने का तरीका।

(4) सरकारी कार्यालय मे नागरिकों के किसी उद्धेश्य से बार–बार आने के अवसरों को कम करने के लिए नियमों का सरलीकरण करना।

(5) सरकारी कार्यालयों में मिसल/कागजों को एक स्तर से दूसरे स्तर पर भेजने की प्रक्रिया को नियमित करना।

(6) हरियाणा राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों को समय–समय पर प्रशासनिक सुधार के लिए निर्देश जारी करना।

(7) निजी तथा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से प्राप्त प्रार्थना पर शिकायतों का निवारण करने बारे कार्यवाही करना।

3. प्रशासकीय सुधार विभाग की स्थापना नवम्बर, 1983 में एक पृथक विभाग के रूप में की गई थी लेकिन इसके कार्य और सेवा अधिकार की सूचना 12 मार्च, 1988 को जारी की गई।

4. इस समय विभाग की पांच निम्न शाखांए हैः–

(1) प्रशासकीय सुधार शाखा

(2) अमला निरीक्षण इकाई

(3) विलम्ब जांच इकाई

(4) आर0टी0आई0 सैल

(5) अनुसंधान इकाई

5. सभी विभागाध्यक्षों को उनके पूरे वर्ष के लिए वार्षिक एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए तथा उन्हें सलाह दी गई कि वह अनुभाग एवं स्कीम के हिसाब से तथा विशेष महत्व के कार्य के लिए प्रशासकीय विभाग सुधार मासिक लक्ष्य निर्धारित करें। राज्य के सभी विभागों को अपने नागरिक अधिकार पत्र तैयार करने में भी सहायता कर रहा है ताकि उन द्वारा दी जा रही सेवाओं का लाभ आम लोगों को मिल सके तथा निर्धारित अवधि में कार्य न होने की स्थिति में उनकी शिकायतों का निवारण किया जा सके।

6. 24 मई, 1997 को नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में 'प्रभावी व उत्तरदायी सरकार' में सर्व सम्मति में सूचना के अधिकार को मान्यता दी गई । स्वतंत्रता के अधिकार नियम, 2002 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति मिल गई। केन्द्र सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बना दिया गया। इस विभाग द्वारा भी प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया गया और राज्य सूचना आयोग हरियाणा बनाया गया।

7. इस विभाग द्वारा, हरियाणा राज्य में प्रशासकीय संरचना तथा प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं के परीक्षण के लिए प्रथम हरियाणा प्रशासकीय सुधार आयोग को गठित करवाया गया ताकि ये अधिक प्रभावी तथा उत्तरदायी हो सके।

8. प्रशासकीय सुधार विभाग में चौकसी की जांच से सम्बन्धित कोई केस लम्बित नहीं है।

9. इस वर्ष श्रीमति उर्वशी गुलाटी, भा0प्र0से0, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार व श्री राजबीर सिंह, भा0प्र0से0 सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा प्रशासकीय सुधार विभाग में कार्यरत रहे और श्री कुडा राम शर्मा बतौर अवर सचिव, प्रशासकीय सुधार विभाग में कार्य किया है।

चण्डीगढ़:
दिनांक 04–07–2017.

डी० एस० ढेसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
प्रशासकीय सुधार विभाग।

Review of the Annual Administrative Report of the Administrative Reforms Department for the year 2009-10

The 8th August, 2017

No. 4/23/2016-RU.—

The Department of Administrative Reforms is the Nodal Agency of Government of Haryana for carrying out Administrative Reforms. The mission of the Department is to act as a facilitator to improve Government functioning through Systemic Changes, Organization and Methods, Eliminating Delays and Maintaining Punctuality in the offices thereby making the administration more sensitive to the aspirations and needs of the people of the State besides developing a mechanism for redressing their grievances on high priority. In addition to these reformative functions, this Department also conducts Works Studies to examine the requirement of Staff for the Government offices which demand additional posts. To promote proactive, responsive, accountable, sustainable and efficient administration at all levels of the Government, the following multipronged strategies are adopted by the Departments:-

(i) Formulation and implementation of Citizens Charters.

(ii) Management Studies.

(iii) Identification of grievances prone areas and studies for quick remedial action.

(iv) Management Services.

(v) Research on general issue of Administrative Reforms.

(vi) Reduction of corruption, delay and in-differences in the state machinery.

(vii) Implementation of Right to Information Act, 2005.

(viii) All matters relating to the State Information Commission.

2. In pursuance of this and in order to promote good governance practices in the State, the Department of Administrative Reforms offers help and advice to the various Government Departments in Management and Organization & Methods activities which include:

(i) Minimizing and reducing levels of deliberation in the disposal of office work by introducing Single File System.

(ii) Fixing accountability by conducting surprise inspections and review of previous inspections.

(iii) Reduction in Paper Work as a result of review, rationalization and simplification of office forms and procedures.

(iv) Simplification of rules and procedures so as to reduce the number of occasions and purpose for which a citizen has to visit Government Offices.

(v) Regulation of movement of files and other papers by various functionaries of the Government.

(vi) Issuance of the instructions and reiteration thereof on different aspects of employees of various Departments to redress their grievances.

(vii) Action on the requests made by individuals and employees of various Departments to redress their grievances.

3. The Administrative Reforms Department was created as a separate Department in November, 1983. However, its functions and jurisdiction were notified on March 12, 1988.

4. This Department comprises of five Branches which include:-

(i) Administrative Reforms Branch

(ii) Staff Inspection Unit

(iii) Delay Checking Unit

(iv) RTI Cell

(v) Research Unit

5. All Heads of Departments were directed to prepare Annual Action Plans for their Departments for the entire year. They were advised to fix month wise targets in the form of calendar of works and jobs of special importance. Administrative Reforms Department has also been assisting the Government Departments to formulate their Citizen Charters with regard to their activities and services so as to enable the Government machinery to deliver quality public services to the citizens in a hassle-free manner and eliminate the causes of grievance through significant standards of performance and a sound grievances redressal mechanism.

6. During the Chief Ministers Conference on Effective & Responsive Government which was held on May 24, 1997 in New Delhi, the need to enact the law on Right to Information was recognized unanimously. The Freedom of Information Act, 2002 received the assent of President of India. Thereafter, the Central Government

framed the Right to Information Act, 2005. This Department also implemented the Right to Information Act, 2005 in the State and established the State Information Commission, Haryana.

7. This Department has set up Haryana Administrative Reforms Commission (HARC) to examine various aspects of the Administrative structure and processes in the State of Haryana so as to make these more effective and responsive.

8. There is no pending case in Administrative Reforms Department relating to vigilance enquiry.

9. Smt. Urvashi Gulati, IAS, Chief Secretary to Government, Haryana and Sh. Rajbir Singh, IAS, Secretary to Government, Haryana held the office in Administrative Reforms Department during the year while the office of Under Secretary was held by Shri Kuda Ram Sharma.

Chandigarh:
The 4th July, 2017.

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government Haryana,
Administrative Reforms Department.

55527—C.S.—H.G.P., Chd.